

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषय:- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाणपत्रों के आधार पर महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किए जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी, 2011

महोदय,

निम्नलिखित संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक तथा दिनांक द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्थाओं की श्रेणी में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र का पत्रांक दिनांक सहित
1.	मुस्लिम डिग्री कालेज, पोस्ट--ककराला, जनपद--बदायूं	F.No. 1049 of 2010/48125 दिनांक 08 दिसम्बर, 2010
2.	बी0एन0डिग्री कालेज, शाहाबाद, हरदोई	F.No. 1020 of 2007 दिनांक 29 अगस्त, 2008
3.	महमूदाबाद कालेज आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, बाईपास स्टेशन रोड, महमूदाबाद, जनपद--सीतापुर	F.No. 735/2009 दिनांक 27 अक्टूबर, 2009

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त क्रमांक-1 से 3 में अंकित महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्थान 'ट्रीट' किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

1  
(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।

संख्या-73(1)/सत्तर-6-2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली/लखनऊ।
5. प्रबन्धक/सचिव, मुस्लिम डिग्री कालेज, पोस्ट--ककराला, जनपद--बदायूं।
6. प्रबन्धक/सचिव, बी0एन0डिग्री कालेज, शाहाबाद, हरदोई।
7. प्रबन्धक/सचिव, महमूदाबाद कालेज आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, बाईपास स्टेशन रोड, महमूदाबाद, जनपद--सीतापुर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
इन्द्रदेव पटेल  
(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।